अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं. 32/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1263(अ).— केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर किसी पूर्तिकार जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति को उस पर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय एकीकृत कर से पूर्ण रूप से छूट प्रदान करती है।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 32/2017 – Integrated Tax (Rate)

G.S.R.1263 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the inter-State supply of goods or services or both received by a registered person from any supplier, who is not registered, from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (4) of section 5 of the said Act.

2. The exemption contained in this notification shall apply to all registered persons till the 31st day of March, 2018.

[F. No.349/74/2017-GST (Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं.38/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि.1264(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, संख्या सा.का.नि. 717 (अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 8/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 के अधीन परंतुक का लोप किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं. 8/2017-संघराज्यक्षेत्र कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

[फा. सं. 349/74/2017- जीएसटी (पीटी)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 717(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना संख्या 8/2017-संघराज्यक्षेत्र कर (दर), तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।